मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 474] भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 अगस्त 2008—श्रावण 15, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2008

क्र. 5009-262-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 अगस्त, 2008 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २००८.

मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम, २००८.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. हमला, आपराधिक बल, अभित्रास और धमकी का प्रतिषेध.
४. शास्ति.
५. अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे.
६. अपराधों का प्रशमन.
७. अपराधों के विचारण की अधिकारिता.
८. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २००८.

मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम, २००८

[दिनांक २ अगस्त, २००८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक ६ अगस्त, २००८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा से संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध हमला, आपराधिक बल, अभित्रास और धमकी को प्रतिषिद्ध करने तथा उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम, २००८ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

२. (१) इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं" से अभिप्रेत है, ऐसी समस्त संस्थाएं जो आयुर्विज्ञान की मान्यताप्राप्त पद्धति में जनता को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं तथा जो राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार या भारत सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम या स्थानीय निकाय आदि के नियंत्रणाधीन हैं तथा जिसमें मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४७ सन् १९७३) के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत तथा अनुज्ञप्त की गई निजी क्षेत्र में की पूर्वोक्त उल्लिखित संस्था सम्मिलित है तथा इसमें रूजोपचार संबंधी स्थापना, अस्पताल, प्रसूति-गृह, चिकित्सीय प्रयोगशाला, उपचर्यागृह और भौतिक चिकित्सा संबंधी (फिजियो थैरेपी) स्थापना भी सम्मिलित है;

(ख) चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं के संबंध में "चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा से संबद्ध व्यक्तियों" में सम्मिलित हैं—

(एक) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी;

(दो) अर्हित उपचारिकाएं;

(तीन) अर्हित प्रसाविकाएं (मिड-वाइव्स);

(चार) सह-चिकित्सीय (पैरा-मेडीकल) कार्यकर्ता;

(पांच) चिकित्सा छात्र;

(छह) उपचर्या (नर्सिंग) छात्र;

(सात) सह-चिकित्सीय (पैरा-मेडीकल) छात्र;

(आठ) चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं में कार्यरत अन्य सहयुक्त कर्मचारी, अर्थात् सहायक, आया, वार्ड बॉय, लिपिकीय कर्मचारिवृन्द आदि;

(ग) "चिकित्सा छात्र" से अभिप्रेत है, किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान पद्धति में स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहा कोई छात्र;

(घ) ''उपचर्या (नर्सिंग) छात्र'' से अभिप्रेत है उपचर्या, प्रसूति विज्ञान (मिडवाइफरी) में पत्रोपाधि या उपाधि पाठ्यक्रम कर रहा कोई छात्र;

(ङ) ''सह-चिकित्सीय छात्र'' से अभिप्रेत है सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम में पत्रोपाधि या उपाधि कर रहा कोई छात्र;

(च) ''मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान पद्धति'' से अभिप्रेत है आयुर्विज्ञान की निम्नलिखित पद्धति, अर्थात्:—

(एक) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १०२) के अर्थ के अन्तर्गत आयुर्विज्ञान की आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति (एलोपैथिक);

(दो) मध्यप्रदेश होम्योपैथिक परिषद् अधिनियम, १९७६ (क्रमांक १९ सन् १९७६) की धारा २ के खण्ड (घ) के अर्थ के अंतर्गत आयुर्विज्ञान की होम्योपैथिक और जीवरसायन (बायोकेमिक) पद्धति;

(तीन) मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१) की धारा २ के अर्थ के अन्तर्गत आयुर्विज्ञान की आयुर्वेदिक पद्धति, यूनानी पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति;

(छ) ''रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी'' से अभिप्रेत है किसी विधि के अधीन आयुर्विज्ञान की मान्यताप्राप्त पद्धति अर्थात् आधुनिक आयुर्विज्ञान पद्धति (एलोपैथिक), आयुर्वेदिक तथा यूनानी आयुर्विज्ञान पद्धति, सिद्ध और प्राकृतिक तथा होम्योपैथिक और बायोकेमिक आयुर्विज्ञान पद्धति में अर्हित कोई चिकित्सा व्यवसायी और जो उक्त आयुर्विज्ञान पद्धति के राज्य चिकित्सीय रजिस्टर में सम्यक् रूप से नामांकित हो (इसमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका अस्थायी रजिस्ट्रीकरण है).

(२) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४७ सन् १९७३), मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, २००० (क्रमांक १ सन् २००१) और भारतीय दंड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) में उनके लिए दिया गया है.

हमला, आपराधिक बल, अभित्रास और धमकी का प्रतिषेध.

३. किसी चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा से संबद्ध व्यक्ति पर, चिकित्सा और सेवा संस्थाओं के भीतर या किसी चल विरूजालय (क्लिनिक) या किसी एम्बुलेंस में चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल (केअर) प्रदान करने से संबंधित उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों के निर्वहन के या उससे आनुषंगिक किसी कार्य के दौरान हमला, आपराधिक बल, अभित्रास और धमकी का कोई कार्य प्रतिषिद्ध होगा.

शास्ति.

४. कोई भी व्यक्ति, जो धारा ३ के उल्लंघन में स्वेच्छापूर्वक कोई कार्य करता है, वह दोनों भांति के कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा.

अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे.

५. धारा ३ के अधीन किया गया कोई अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा.

अपराधों का प्रशमन.

६. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का प्रशमन, न्यायालय की अनुज्ञा से व्यथित व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा.

अपराधों के विचारण की अधिकारिता. ७. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा.

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना. ८. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में होंगे.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2008

क्र. 5010-262-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश चिकित्सक एवं चिकित्सा सेवा से सम्बद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम, 2008 (क्रमांक 17 सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 17 of 2008.

THE MADHYA PRADESH CHIKITSAK TATHA CHIKITSA SEVA SE SAMBADDHA VYAKTIYON KI SURAKSHA ADHINIYAM, 2008.

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Prohibition of assault, criminal force, intimidation and threat.
4. Penalty.
5. Offence to be cognizable and non-bailable.
6. Compounding of offences.
7. Jurisdiction to try offences.
8. Act not in derogation of any other law.

MADHYA PRADESH ACT

No. 17 of 2008.

THE MADHYA PRADESH CHIKITSAK TATHA CHIKITSA SEVA SE SAMBADDHA VYAKTIYON KI SURAKSHA ADHINIYAM, 2008.

[Received the assent of the Governor on the 2nd August, 2008; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th August, 2008].

An Act to provide for prohibition of assault, criminal force, intimidation and threat against medical and health service persons and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-ninth year of the Republic of India as follows:—

Short title, extent and commencement. 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Chikitsak Tatha Chikitsa Seva Se Sambaddha Vyaktiyon Ki Suraksha Adhiniyam, 2008.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "medical and health service institutions" means all institutions providing medical and health services to people in the recognised system of medicine and which are under the control of the State Government and Central Government, or Government of India or State Government undertaking, or local bodies etc., and includes aforementioned institution in private sector duly registered and licensed under the Madhya Pradesh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapnaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973 (No. 47 of 1973), and also includes clinical establishment, hospital, maternity home, medical laboratory, nursing home and physio-therapy establishment;

(b) "medical and health service persons" in relation to medical and health service institutions shall include,—

(i) registered medical practitioners;

(ii) qualified nurses;

(iii) qualified midwives;

(iv) paramedical workers;

(v) medical students;

(vi) nursing students;

(vii) paramedical students;

(viii) other associated employees, that is helpers, ayahs, ward boys, ministerial staff etc., working in medical and health service institutions;

(c) "medical student" means student undergoing graduate or post-graduate courses in the recognised system of medicine;

(d) "nursing student" means student undergoing diploma or degree courses in Nursing, Midwifery etc.;

(e) "paramedical student" means student undergoing diploma or degree in paramedical courses;

(f) "recognised system of medicine" means the following system of medicine, namely:—

(i) modern scientific system of medicine (Allopathic) within the meaning of the Indian Medical Council Act, 1956 (No. 102 of 1956);

(ii) Homoeopathic and Biochemic System of Medicine within the meaning of clause (d) of Section 2 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976);

(iii) Ayurvedic System, Unani System and Naturopathy System of Medicine within the meaning of Section 2 of the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritic Chikitsa Vyavasayi Adhiniyam, 1970 (No. 5 of 1971);

(g) "registered medical practitioner" means a medical practitioner qualified in the system of medicine recognised under the law that is, modern system of medicine (Alopathic), Ayurvedic and Unani System of Medicine, Siddha and Naturopathy, and Homoeopathy and Biochemic System of Medicine and are duly enrolled in the State Medical Register of the said system of medicine (also including those having provisional registration).

(2) The words and expressions used in this Act but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Madhya Pradesh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapnaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam, 1973 (No. 47 of 1973), the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001) and the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860).

Prohibition of assault, criminal force, intimidation and threat.

3. Any act of assault, criminal force, intimidation and threat to medical and health service person during or incidental to discharge of his lawful duties pertinent to medical and health care delivery within medical and service institutions or in a mobile clinic or in an ambulance shall be prohibited.

Penalty.

4. Whoever voluntarily commits any act in contravention of Section 3 shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to three months or with fine which may extend to ten thousand rupees or both.

Offence to be cognizable and non-bailable.

5. Any offence committed under Section 3 shall be cognizable and non-bailable.

Compounding of offences.

6. The offence punishable under this Act may be compounded by the aggrieved persons with the permission of the court.

Jurisdiction to try offences.

7. No court inferior to that of a Judicial Magistrate of the First Class shall try an offence punishable under this Act.

Act not in derogation of any other law.

8. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.